भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2506

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

"दाहोद में व्यापार और एमएसएमई पर जीएसटी 2.0 का प्रभाव"

2506. **श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लघु व्यापारी, कारीगर और कृषि उत्पाद विक्रेताओं को जीएसटी के सरलीकरण से क्या लाभ मिले हैं;
(ख) दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के बढ़ने का प्रतिस्पर्धा और उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ा है; और
(ग) क्या जीएसटी 2.0 दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेगा?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग) दिनांक 03.09.2025 को आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की सिफारिशों के आधार पर नागरिक अनुकूल 'सरल कर' प्रणाली लागू की गई है, जिसमें 18% की मानक दर और 5% की मेरिट दर के साथ 2 दरें हैं; कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% की विशेष डी-मेरिट दर भी लागू की गई है। दिनांक 03.09.2025 को आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की सिफारिशों पर अधिसूचित जीएसटी सुधार अब पूरे देश में समान रूप से लागू है। दाहोद के छोटे व्यापारी, कारीगरी और कृषि उत्पाद विक्रेता को भी दर युक्तिकरण और प्रक्रियात्मक सुधारों से काफी लाभ प्राप्त करेंगे।

छोटे व्यापारियों द्वारा बेचे जाने वाले आम नागरिकों के लिए उपयोगी कई वस्तुओं, जैसे कि केश तेल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट आदि पर जीएसटी दर 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी प्रकार पैकेटबंद नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, प्रिजर्व्ड मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया

है। इसके अलावा पुआल या चारा बेलर, घास या भूसा काटने की मशीन, कम्पोस्टिंग मशीन आदि सहित कृषि उत्पादों, जैसे कि ट्रैक्टर, कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, मिट्टी तैयार करने या खेती करने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बांस, रतन और बेंत से बने फर्नीचर, लोहे, पत्थर, एल्युमीनियम की कलाकृतियाँ, नक्काशीदार लकड़ी के उत्पाद आदि जैसे हस्तशिल्प वस्तुओं के मामले में कारीगरों को भी जीएसटी दर में 12% से 5% तक की कमी का लाभ मिलेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक वैकल्पिक सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत कम जोखिम वाले आवेदकों और उन आवेदकों को जो अपने स्वयं के आकलन के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि पंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति पर उनकी उत्पादन कर देयता 1 नवंबर 2025 से प्रति माह 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी, आवेदन जमा करने की तारीख से तीन कार्यदिवसों के भीतर स्वतः आधार पर पंजीकरण प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा निर्बाध क्रेडिट प्रवाह सुनिश्चित करने और कर के अत्यधिक भार को रोकने के लिए जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं परिषद की बैठक में सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन की सिफारिश की ताकि इन्वर्टेड शुल्क संरचना (इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) से उत्पन्न मामलों में दावा की गई राशि के 90% तक की अनंतिम रिफंड का प्रावधान ठीक उसी तर्ज पर किया जा सके, जैसा कि वर्तमान में शून्य-दर आपूर्ति रिफंड दावों के संबंध में उपलब्ध है। सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियमों में संशोधन लंबित रहने तक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे दिनांक 1 अक्टूबर, 2025 से सिस्टम द्वारा जोखिम की पहचान और मूल्यांकन के आधार पर विलोमित संरचना (इनवर्टेड स्ट्रक्चर) से उत्पन्न मामलों में दावा की गई रिफंड राशि के 90% के बराबर अनंतिम रिफंड प्रदान करें।

*****